

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत... सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायगु

मुकाम.....

लाभुराम

बनाम

जगदीश कुमार वर्मा

किस्म मुकदमा नं. आवेदन 111, 128  
RLR AU

नं. 107/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/3/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>वेनाराम शर्मा</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR AU</u> राजस्थान काश्तकारी/भू रजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>8/4/19</u> को पेश हो।</p>	
08/04/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील हुआ जात जिसे शामिल पत्रावली भीमा गया। अप्रार्थीगण का पत्रावली तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई। अन्तिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। अप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिपत्रता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा उनके विरुद्ध एडवोकेट कार्यावाही कमल में लाई जाली है। प्रार्थी के अधिपत्रता की एडवोकेट वाइस सुनी गई। प्रार्थी के अधिपत्रता ने कलमा ही प्रार्थी को अपने जवाबदारी धैरों के चारों ओर पकड़े नैयाम स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नैयाम वाली आवेदन स्वीकार भीमा जाउ नैयाम वाली</p>	

आवेका दिया जावे। अतः प्रार्थी का अधिकतम 3 किसेस  
पर प्रार्थी का नैवामवनी आवेदन स्वीकार दिया जावे  
तदनुसार वायु को इमिक्शन नियुक्त दिया जावे  
है व आवेका दिया जावे है कि वायु स्वयं या  
द्वारे अधिकतम हीमी भी भूय अभिलेख निरिषु  
से प्रार्थी के खातेदारी खेती की पक्की नैवामवनी  
मांडे पर कुलु जमा करावे करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त  
होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली पत्रालय  
कुमार हो, दर्ज नाम्बर से उम डी, दाखिल दफतर हो।

08.4.2019

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 79

प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 04.19

विप्रार्थीगण

1. लाधुराम पुत्र कानाराम वगैरा जाति जाट  
निवासी जोगासर कुआं छीतर का पार  
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. जगदीश कुमार पुत्र केमराम वगैरा  
निवासी जोगासर कुआं छीतर का पार  
तहसील बायतु/बाड़मेर,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या /19

आदेश

मौजा जोगासर कुआं पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बायतु जिला बाड़मेर के क्षेत्र क्रमांक नम्बर क्रं. 466/86, 468/86, 610/86, 664/86 रकबा क्रं. 5.04, 18.13, 24.04 2.38 बीघा के भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअनिरीक्षक से जमीन के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित हानि का ब्याज प्रकृति नागाणा/बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2019/ 80-84  
बायतु

उपखण्ड अधिकारी  
बायतु  
दिनांक:- 04.19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी छीतर का पार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपरिधत रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लाधुराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री जगदीश कुमार वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा /बायतु।

सहायक कमिश्नर (SDO)  
बायतु  
दिनांक:- 08.14.2019